



दिनांक: 07.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा **01 NBW वारण्टी अभियुक्त मुकेश पुत्र जसवीर निवासी मानसिंह माजरा रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0- 1636/2003 मु0अ0सं0 442/1997 धारा 25 आयुध अधि0 बनाम मुकेश आदि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर (मा0 न्यायालय अपर सिविल जज सि0डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द सहारनपुर) में निर्गत एनबीडब्ल्यू में मानसिंह माजरा रणखण्डी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुकेश पुत्र जसवीर निवासी मानसिंह माजरा रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2- है0का0 338 रविन्द्र गिरि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त इरफान उर्फ पीकू पुत्र इकराम निवासी ग्राम उमर पैलेस के पीछे रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को सम्बंधित वाद स0 7498/24 व मु0अ0स0 44/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 चालानी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर में ग्राम रसूलपुर उमर पैलेस के पीछे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

इरफान उर्फ पीकू पुत्र इकराम निवासी ग्राम उमर पैलेस के पीछे रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 526 सनव्वर ताज थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. हो0गा0 1432 राजकुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर



दिनांक: 07.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अवीनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.12.2024 को 01 वारण्टी/अभियुक्त फुरकान पुत्र इनाम निवासी ग्राम रसूलपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर संबंधित वाद सं13016 0/3 धारा 23/5/263 0सं0अ0सीएस एक्ट मु 8/चालानी थाना नकुड़ निर्गत 2001 एम द्वितीय सहारनपुर0जे0सी0न्यायालय ए0माको ग्राम रसूलपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फुरकान पुत्र इनाम निवासी ग्राम रसूलपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अवीनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 श्री वेदपाल सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ,
3. है0का0 971 राशिद अली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ,
4. है0का0 552 हरेन्द्र सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक - 07.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा **01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त वबला पुत्र हरमल नि0 ग्राम जानखेड़ा थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर** वाद सं0-1025/19 धारा-60/62ExAct बनाम इन्द्र आदि व वबला पुत्र हरमल नि0 ग्राम जानखेड़ा थाना रामपुर मनि0 स0पुर (मा0 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर ACTION PLAN / MOST URGENT) दिनांक-20.11.24 के अनुपालन में ग्राम जानखेड़ा मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वबला पुत्र हरमल नि0 ग्राम जानखेड़ा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री आनन्द पोसवाल थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 1003 सुशान्त कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर



दिनांक:07-12-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश थाना तीतरो पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 02.12.24 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत जुनैद पुत्र शौकत निवासी ग्राम बालू थाना तीतरो जिला सहारनपुर के द्वारा पीडिता के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना व अश्लील फोटो वायरल कर देने के सम्बन्ध में थाना तीतरो पर मु0अ0सं0 128/2024 धारा 69 बीएनएस व 66 E आईटी एक्ट के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आदेश- निर्देश दिए इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर तीतरो पुलिस टीम द्वारा 1 मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे **अभियुक्त जुनैद पुत्र शौकत निवासी ग्राम बालू थाना तीतरो जिला सहारनपुर** को कस्बा गंगोह से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर अग्रिम कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जुनैद पुत्र शौकत निवासी ग्राम बालू थाना तीतरो जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक संजीव शर्मा थाना तीतरो जिला सहारनपुर
2. व0उ0नि0 राजकुमार थाना तीतरो जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना तीतोर जिला सहारनपुर
4. का0 1695 अहसान थाना तीतरो जिला सहारनपुर
5. का02538 चन्द्रशेखर थाना तीतरो जिला सहारनपुर



दिनांक- 07.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.12.2024 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त मुबारिक पुत्र कुरबान निवासी मौ0 हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 2524/23 धारा 60/63 आबकारी एक्ट व वाद सं0 594/21 मु0अ0सं0 552/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना बनाम थाना चिलकाना को कस्बा चिलकाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुबारिक पुत्र कुरबान निवासी मौ0 हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुबारिक उपरोक्त:-

वाद सं0 2524/23 मु0अ0सं0 335/19 धारा 60/63 आबकारी एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:

1. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना सहारनपुर
2. का0 2261 राजेन्द्र राणा थाना चिलकाना सहारनपुर
3. का0 634 मनोज कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर



दिनांक: 07.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा ग्राम रजापुर में फायरिंग व मारपीट की घटना कारित करने वाले

04 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.12.2024 को वादी श्री शुभम उर्फ हर्षित पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम कलालहटी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. कमाल सिंह पुत्र धनीराम, 2. प्रमोद उर्फ छोट पुत्र धनीराम, 3. विनोद पुत्र धनीराम, 4. करण पुत्र कमाल सिंह, 5. पारस पुत्र संदीप व 6. गौरव पुत्र राजेन्द्र समस्त निवासीगण रजापुर थाना फतेहपुर सहारनपुर द्वारा वादी व वादी के भाई और पिता के साथ गाली गलौच कर लाठी डंडो व लोहे की राड़ से मारपीट करने, जान से मारने की नियत से फायर करने जिससे वादी के भाई गौरव को गोली लग जाने व जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 227/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/109 बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल फायरिंग की उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र अति शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में एवं थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 04 वांछित अभियुक्तगण 1.कमाल सिंह पुत्र धनीराम निवासी निवासी ग्राम रजापुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 2. विनोद पुत्र धनीराम निवासी ग्राम रजापुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 3.करण पुत्र कमाल सिंह निवासी ग्राम रजापुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व 4.गौरव पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम रजापुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को रुड़की रोड़ से ग्राम गंगाली जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सांक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए धारा 118(1)/190 बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि दिनांक 03.12.2024 को गाँव के ही विहंस यादव की शादी थी। शादी में डी0जे0 पर नाचने को लेकर हर्षित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम कलालहटी के परिवार के साथ कहासुनी हो गयी थी तो जानकारी हुई कि राजेन्द्र अपने लड़के के साथ शादी समारोह में छुटमलपुर जा रहा है तो मैं (कमाल सिंह) अपने भाई प्रमोद, विनोद व अपने पुत्र करण तथा अपने गाँव के पारस व गौरव को लेकर कब्रिस्तान के सामने ग्राम कलालहटी रोड़ पर जाकर लाठी डण्डे तथा तमंचे सहित खडे हो गये थे। कुछ देर बाद राजेन्द्र अपने लड़के गौरव व हर्षित के साथ आया तो हमने एक साथ उनके साथ लाठी डण्डो तथा सरिये से मारपीट शुरू कर दी थी तथा मेरे भाई प्रमोद ने अपने हाथ में लिये तमंचे से गोली चला दी थी। गोली राजेन्द्र के लड़के गौरव को लग गयी थी, जब कलालहटी गाँव से कुछ लोग वहाँ आते दिखाई दिये तो हम लोग वहाँ से भाग गये थे

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. कमाल सिंह पुत्र धनीराम निवासी ग्राम रजापुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. विनोद पुत्र धनीराम निवासी ग्राम रजापुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. करण पुत्र कमाल सिंह निवासी ग्राम रजापुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. गौरव पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम रजापुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 अदद खुदाला
- 02 डंडे
- 01 बलकटी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अनिल तेवतिया थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सोनू राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विजय पाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. का0 1551 अमित तोमर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 07.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबंद, पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 06.12.2024 को वादी श्री सुमेर चन्द पुत्र बारु सिंह निवासी ग्राम करंजाली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त नन्दनी पुत्री नन्दकुमार निवासी ग्राम करंजाली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा किराये के पैसे मांगने को लेकर वादी के पुत्र मोहन के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की नियत से धारदार चाकू से हमले की सूचना के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 669/2024 धारा 109(1)/352 बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त नन्दनी पुत्री नन्दकुमार निवासी ग्राम करंजाली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को ग्राम करंजाली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नन्दनी पुत्री नन्दकुमार निवासी ग्राम करंजाली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी-

01 अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 09 महबूब अली थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. म0का0 310 राखी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 07.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा वाहन चोरी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.12.2024 को गश्त/चैकिंग के दौरान वाहन चोरी के मुकदमें वांछित **अभियुक्त साहिल उर्फ नोनू पुत्र विनोद बाटला निवासी नवाबगंज चौक जाफरनवाज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0स0 332/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर व मु0अ0स0 341/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर में मानकमऊ बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि करीब 20 दिन पहले मैंने तथा मेरे एक अन्य साथी आमिर ने 62 फुटा ग्रीन पार्क के पास से होन्डा साईन मोटर साईकिल को चोरी किया था जिसको हमने चकआदमपुर के बाग के पास छिपाकर खड़ी कर रखा था तथा एक स्पलैन्डर मोटरसाईकिल को करीब 15 दिन पहले मैंने तथा आमिर ने अपने तीसरे साथी के मिलकर चीतल फार्महाउस अम्बाला रोड से चोरी की थी जिसे मैं तथा मेरा पहला साथी आमिर नम्बर प्लेट उतारकर चला रहे थे कि दिनांक 30.11.2024 को आपने आमिर को पकड़ लिया था तथा मैं मौके से भा गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

साहिल उर्फ नोनू पुत्र विनोद बाटला निवासी नवाबगंज चौक जाफरनवाज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभि0 साहिल उर्फ नोनू -

1. मु0अ0स0 251/23 धारा 279/341/353/504/506 भादवि थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 88/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 07.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा महिलाओं से पर्स छिनैती की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर झप्पटामार/लूटेरा अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर लूट गया माल कुल 17,200/- रुपये नकद, 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 06.12.2024 को वादिया श्रीमति सीमा शम्शी पत्नी मौ० शुऐब निवासी मौ० टोली कला लान थाना मण्डी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त साबिर पुत्र जाबिर निवासी मेहन्दी सराय थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा झप्पटा मारकर वादिया का पर्स जिसमें लगभग 1800/- रुपये व एक सैमसंग का मोबाइल फोन छीन कर भाग जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु०अ०सं० 459/2024 धारा 304 बीएनएस के पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 01.12.2024 को वादी श्री प्रतीक कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री प्रमोद कुमार गुप्ता निवासी जवाहर पार्क थाना मण्डी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की माता जी से झप्पटा मारक पर्स जिसमें 23,000/- रुपये व अन्य सामान छीनकर भाग जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु०अ०सं० 455/2024 धारा 304 बीएनएस के पंजीकृत किया गया था और दिनांक 02.12.2024 को वादिया श्रीमती बबीता गर्ग पत्नी पंकज गर्ग निवासी हरनाथपुरा रायवाला थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त साबिर पुत्र जाबिर निवासी मेहन्दी सराय थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया का पर्स जिसमें 1200/- व दो आर्टिफिशियल अंगूठी छीनकर भाग जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु०अ०सं० 460/24 धारा 304 बीएनएस के पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक मण्डी को आदेश-निर्देश दिये गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व झप्पटामार/लूटेरे अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान उपरोक्त मुकदमों में छिनैती की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर झप्पटामार/लूटेरे/ अभियुक्त साबिर उर्फ शुऐब पुत्र जाबिर निवासी मौ० मेहन्दी सराय थाना मण्डी सहारनपुर को जुल्मगढ की पुलिसिया के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर उपरोक्त मुकदमों में लूटा गया माल बरामद । गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बी.एन.एस की वृद्धि की गई । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

विवरण पूछताछ: – अभियुक्त साबिर उर्फ शुऐब उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि करीब 10 दिन पहले पिलखनतला मौहल्ले से शाम के समय करीब 7.30 बजे एक महिला से पर्श छीना था उसमें से एक सैमसंग का मोबाइल फोन व 1780/- रुपये मिले थे । पैसे तो मुझसे खर्च हो गए हैं मोबाइल मैं बेचने की फिराक में था मगर अभी तक बिक नहीं पाया था तथा बरामद रुपयों के बारे में बताया कि अभी तीन-चार दिन पहले मैंने अपनी इसी स्कूटी पर शाम के करीब छः बजे बडतला यादगार में ब्रजलाल स्वीट्स के सामने से एक महिला से पर्स छीना था जिसमें मुझे बाईस -तेईस

हजार रुपये तथा यह आधार कार्ड मिला था। ये रुपये उन्ही में से बचे हुए हैं बाकी रुपये मुझसे खाने पीने में खर्च हो गए। और उससे अगले दिन भी मैंने एक महिला से पर्स छीना था जिसमें 1200/- रुपये नकद व 02 आर्टिफिशियल अंगूठी मिली थी। जो सामान व रुपये मेरे पास मिले हैं यह उन्ही तीन घटनाओं से सम्बन्धित है जो मैंने आपको बतायी है। पर्स मैंने खाली करके राह चलते फेंक दिये थे मुझे पता नहीं कि मैंने वह पर्स कहाँ फेंके थे।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता –

साबिर उर्फ शुएब पुत्र जाबिर निवासी मौ० मेहन्दी सराय थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 16000/- रुपये नकद, 01 एक्टवा स्कूटी (घटना में प्रयुक्त) व 01 आधार कार्ड (सम्बन्धित मु०अ०सं० 455/2024 धारा 304 बीएनएस थाना मण्डी, सहारनपुर)
- 01 मोबाइल फोन सैमसंग A21S (सम्बन्धित मु०अ०सं० 459/2024 धारा 304 बीएनएस थाना मण्डी, सहारनपुर)
- 1200/- रुपये नकद व 02 अंगूठी आर्टिफिशियल (सम्बन्धित मु०अ०सं०-460/2024 धारा 304 बीएनएस थाना मण्डी, सहारनपुर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. उ०नि० श्री रणवीर सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है०का० 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. का० 1460 अंकित पंवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
7. है०का० 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर